न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रिव्यु संख्याः 01/2026

दायर दिनांकः 05.01.2026

निर्णय दिनांक 23.01.2026

—: अनवान :—

1. मैसर्स खेतान बिजनेस कार्पोरेशन प्रा. लि. कार्यालय बी 10 श्री पति अपार्टमेन्ट कॉ आपरेटिव हाउसीग सोसाइटी लिमिटेड, श्रीकान्त पालेकर रोड मरीन लाईन्स मुम्बई जरिए अधिकार पत्र धारक वैजनाथ चौहान पिता श्री देवनारायण जी राजपूत निवासी पुराना बस स्टेण्ड नाथद्वारा जिला राजसमद नाथद्वारा पजीकृत
2. श्री नाथूलाल गमेती पिता श्री माना उर्फ मन्ना भील उम्र 51 वर्ष निवासी पासूनिया वाडी का मथारा ग्राम पंचायत टांटोल तहसील खमनोर जिला राजसमंद
3. श्री कालूलाल पिता श्री माना उर्फ मन्ना भील उम्र 64 वर्ष निवासी पासूनिया वाडी का मथास ग्राम पंचायत टांटोल तहसील खमनोर जिला राजसमंद
4. श्री मागीलाल पिता श्री माना उर्फ मन्ना भील उम्र 54 वर्ष निवासी पासूनिया वाडी का मथारा ग्राम पंचायत टांटोल तहसील खमनोर जिला राजसमंद

— प्रार्थीगण

पुनर्विलोकन याचिका बाबत् प्रार्थना पत्र संख्या 02/2019 मैसर्स खेतान बिजनेस कोर्पोरेशन प्रा.लि. व अन्य आदेश दिनांक 31—10—2025

उपस्थित :—

1. श्री सम्पत लाल लडढा, अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में याचिका प्रस्तुत की एवं प्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थी संख्या 2, 3, 4 ने निश्चित क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करके प्रार्थी संख्या 1 को एम.एल. नम्बर 12/2000 निकट ग्राम राबचा में आने वाली आराजी नं. 2222 रकबा 0.1200 एवं आराजी नं. 2223 रकबा 0.0900 में खनन कार्य की अनुमति प्रदान की जाए। आप न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रार्थीगण के मध्य आपसी समझौते ईकरार अनुसार प्रार्थी संख्या 2 से 4 को मुआवजा राशि कुल 6,30,000/— रूपये जरिये चौक दिनांक 22.02.2020 से प्रत्येक प्रार्थी को राशि 2,10,000/— रूपये भुगतान किए जाने से स्वीकार किया गया किन्तु सहवन से प्रार्थी संख्या 1 को एम.एल. नम्बर 12/200 निकट ग्राम राबचा में आने वाली

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

आराजी नं. 2222 रकबा 0.1200 एवं आराजी नं. 2223 रकबा 0.0900 में खनन कार्य की अनुमति प्रदान किए जाने का तथ्य लिखना भूल गए। यद्धपि फैसला दिनांक 31.10.2025 को सुनाया गया। जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 को होने पर नकल हेतु दिनांक 02.12.2025 को दरख्वास्त लगाई एवं दिनांक 23.12.2025 को फैसले की नकल मिलने पर फैसला पढने पर ज्ञात हुआ कि उक्त अनुसार अनुमति प्रदान करने की बात सहवन से लिखने से रह गया है। इस मामले में फैसला में समझौता ईकरार को मन्जूर किया गया है किन्तु इसके आगे खनन कार्य की अनुमति प्रदान किए जाने का तथ्य सहवन से लिखना रह गया है, जो रेकर्ड पर प्रथम दृष्टया ही गलती/चुक से लिखना रह गया है। धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनिय के तहत अनुमति ही महत्वपूर्ण होती है जो प्रत्यक्षतः नहीं लिखे जाने व रेकर्ड में अंकित नहीं किए जाने पर भविष्य में अनेक कठिनाईयाँ उत्पन्न होगी, जमीनों के खुर्दबुर्द किए जाने या अन्यथा रूपेण व्यवहारिक कठिनाईया उत्पन्न हो सकती है जिसके निराकरण हेतु मांगा गया सम्पूर्ण अनुतोष प्रदान करना जरूरी है। प्रार्थीगण ने स्पष्ठतः नियमानुसार समझौता दिलवाने के साथ–साथ यह भी अनुतोष मांगा कि प्रार्थी संख्या 1 को एम.एल. नं. 12/2000 निकट ग्राम राबचा में आने वाली आराजी नं. 2222 रकबा 0.1200 एवं आराजी नं0 2223 रकबा 0.900 में खनन कार्य की अनुमति प्रदान की जाए एवं यह बात भी फैसला/आदेश में लिखना था किन्तु चुकवश नहीं लिखा गया जो रेकर्ड/फेसला को देखने मात्र से प्रकट हो रहा है। प्रकरण अनकन्टेस्टेड है इस कारण खनन कार्य की अनुमति की बात लिखना आवश्यक था अन्यथा प्रार्थी संख्या 1 द्वारा खनन कार्य करने पर बिना अनुमति परेशानी होगी। रिव्यू दरख्वास्त लगाने में हुई देरी स्वाभाविक है प्रार्थी संख्या 1 को फैसला की जानकारी होते ही दिनांक 02.12.2025 को नकल हेतु दरख्वास्त पेश की, जिसकी प्रमाणित नकल दिनांक 23.12.2025 को मिली व प्रार्थी संख्या 1 सिविल न्यायालय में विन्टर वेकेशन की जानकारी से यह समझा कि वकील साहब नहीं मिलेंगें बाहर गए हुए है तथा आज शीतकालीन अवकाश खत्म होते ही वकील साहब से मिले एवं त्रुटि सुधार हेतु यह याचिका अविलम्ब पेश की जा रही है। जिसमें जानबुझकर भूल या लापरवाही नहीं की गई है तथापि धारा 5 की दरख्वास्त पृथक से प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की रिव्यू याचिका स्वीकार की जाकर प्रकरण संख्या 02/2019 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2025 का पुनरावलोकन (Review) किया जाकर दिए गए अनुतोष के साथ–साथ यह भी अनुतोष प्रदान किया जाए कि प्रार्थी संख्या 1 को एम.एल.नं. 12/2000 निकट ग्राम राबचा में आने वाली आराजी नं. 2222 रकबा 0.1200 एवं आराजी नं. 2223 रकबा 0.0900 में खनन कार्य की अनुमति प्रदान की जाए एवं इसका उल्लेख रेवेन्यू रेकर्ड में अंकित करवाया जाए।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिव्यु को दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह कथन किया कि प्रार्थीगण

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

ने धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में याचिका प्रस्तुत की एवं प्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थी संख्या 2, 3, 4 ने निश्चित क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करके प्रार्थी संख्या 1 को एम.एल. नम्बर 12/2000 निकट ग्राम राबचा में आने वाली आराजी नं. 2222 रकबा 0.1200 एवं आराजी नं. 2223 रकबा 0.0900 में खनन कार्य की अनुमति प्रदान की जाए। धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनिय के तहत अनुमति ही महत्वपूर्ण होती है जो प्रत्यक्षतः नहीं लिखे जाने व रेकर्ड में अंकित नहीं किए जाने पर भविष्य में अनेक कठिनाईयाँ उत्पन्न होगी, जमीनों के खुर्दबुर्द किए जाने या अन्यथा रूपेण व्यवहारिक कठिनाईया उत्पन्न हो सकती है जिसके निराकरण हेतु मांगा गया सम्पूर्ण अनुतोष प्रदान करना जरूरी है। प्रार्थीगण ने स्पष्ठतः नियमानुसार समझौता दिलवाने के साथ–साथ यह भी अनुतोष मांगा कि प्रार्थी संख्या 1 को एम.एल. नं. 12/2000 निकट ग्राम राबचा में आने वाली आराजी नं. 2222 रकबा 0.1200 एवं आराजी नं0 2223 रकबा 0.900 में खनन कार्य की अनुमति प्रदान की जाए एवं यह बात भी फैसला/आदेश में लिखना था किन्तु चुकवश नहीं लिखा गया जो रेकर्ड/फेसला को देखने मात्र से प्रकट हो रहा है। प्रकरण अनकन्टेस्टेड है इस कारण खनन कार्य की अनुमति की बात लिखना आवश्यक था अन्यथा प्रार्थी संख्या 1 द्वारा खनन कार्य करने पर बिना अनुमति परेशानी होगी। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की रिव्यू याचिका स्वीकार की जाकर प्रकरण संख्या 02/2019 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2025 का पुनरावलोकन (Review) किया जाकर दिए गए अनुतोष के साथ–साथ यह भी अनुतोष प्रदान किया जाए कि प्रार्थी संख्या 1 को एम.एल.नं. 12/2000 निकट ग्राम राबचा में आने वाली आराजी नं. 2222 रकबा 0.1200 एवं आराजी नं. 2223 रकबा 0.0900 में खनन कार्य की अनुमति प्रदान की जाए एवं इसका उल्लेख रेवेन्यू रेकर्ड में अंकित करवाया जाए।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उक्त प्रकरण से संबंधित पत्रावली प्रार्थना् पत्र धारा 89 के प्रकरण संख्या 02/2019 का अवलोकन किया गया। इस पत्रावली में खातेदारो की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि जिसमे यह अंकन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर मैसर्स खेतान बिजनेस कार्पोरेशन प्रा. लि. को माइनिंग लिज प्राप्त है तथा इस जमीन के बदले खातेदारो द्वारा राशि प्राप्त कर ली गई है तथा भौतिक रूप से भी कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा यह रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके खनन कार्य की अनुमति चाहे जाने की प्रार्थना को धारा 89 के आलोक में अध्ययन किया गया।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 में यह स्पष्ट किया गया है कि भूमि में पाये जाने वाले मिनरल्स आदि पर अधिकार राज्य सरकार का होता है तथा राज्य सरकार द्वारा यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर प्रदान किये जाते है जिस व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान किये जाते है वह व्यक्ति उस भूमि में प्रवेश करने से पहले जिला कलक्टर की अनुमति प्राप्त करेगा। इस तरह का

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रावधान धारा 89 के उप नियम 5 में किया गया है तथा धारा 89(4) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकार खनन द्वारा प्रभावित होते है तो वह उसके मुआवजे की राशी का निर्धारण जिला कलक्टर द्वारा किया जा सकता है तथा उस मुआवजे के भुगतान के पश्चात उस भूमि में प्रवेश की अनुमति जिला कलक्टर द्वारा धारा 89(5) के द्वारा प्रदान किये जाने के प्रावधान हैं।

खनन की अनुमति राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है जो पूर्व में ही प्रार्थी को प्राप्त है यहाँ प्रकरण संख्या 02/2019 की पत्रावली में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि जिन खातेदारों को धारा 89 के तहत मुआवजे का भुगतान किया गया। उनके द्वारा पहले से ही भौतिक कब्जा पर मैसर्स खेतान बिजनेस कार्पोरेशन प्रा. लि. को दे दिया गया है तो ऐसी स्थिति में यहाँ स्पष्ट है कि मुआवजे का भुगतान हो चुका है तथा मैसर्स खेतान बिजनेस कार्पोरेशन प्रा. लि. खातेदारी से कब्जा भी प्राप्त कर चुका है अर्थात वादग्रस्त भूमि में प्रवेश कर चुका है तथा उसके जो खनन के अधिकार है वो खनन लीज के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम अधिकार द्वारा पूर्व में दिये गये है। जिला कलक्टर को खनन किये जाने की अनुमति देने के कोई अधिकार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 में नहीं पाये गये है केवल मात्र धारा 89(5) के तहत जिन खातेदारो को निर्धारित मुआवजे का भुगतान कर दिया जाता है तो वादग्रस्त भूमि में प्रवेश के अधिकार दिये जा सकते है यहाँ मैसर्स खेतान बिजनेस कार्पोरेशन प्रा. लि. पहले से ही खातेदारों की भूमि का कब्जा प्राप्त कर चुका है अत. मैं इस प्रकरण में अन्य कोई आदेश दिया जाना नियमानुसार उचित नही पाता हूँ अतः यह पूनरावलोकन याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है क्योकि प्रकरण का पूर्व में ही विधिक प्रावधानो के अनुसार निस्तारण किया जा चुका हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिव्यु को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 23.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)